प्रेस नोट दिनांक 10.11.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से निर्गत सेशन केस 1012/2022 राज्य बनाम मा0 न्यायालय अपर जिला जज / फास्ट ट्रैक कोर्ट अ0सं0 23/19 थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त रिजवान उर्फ कल्लू उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र मो0 रफीक निवासी ग्राम कुम्भी आइमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को ग्राम पूरे लोका के मट्टन नाला के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
रिजवान उर्फ कल्लू उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र मो0 रफीक निवासी ग्राम कुम्भी आइमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम:
उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का० गोपाल गिरी व का० अखिलेश कुमार पाण्डेय व का0 ऋषिकेश मौर्या थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त रोहित पाण्डेय गिरफ्तार, 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त रोहित पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया, 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी ग्राम दरियापुर (मिश्राइनपुर), थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ के अनुसार दिनांक 07.11.2026 को वह अपने दरवाजे पर बैठकर मजदूरों से कार्य करा रहे थे। इसी दौरान गांव के सोनू पाण्डेय एवं रोहित पाण्डेय पुत्र रामविशाल पाण्डेय, जिनसे उनकी रंजिश है, हाथ में असलहा लेकर उनके दरवाजे पर आए तथा गाली-गलौज करते हुए उनके माथे पर असलहा लगाकर जान से मारने की नीयत से धमकाया। वादी के शोर मचाते हुए वहां से भागने पर सोनू पाण्डेय द्वारा उन पर गोली चलाई गई, लेकिन संयोगवश गोली नहीं लगी। शोरगुल होने पर दोनों आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। । तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 540/2026 धारा 109 (1)/ 352/351 (3) बीएनएस में पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस

अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशांत राज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रानीगंज श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा वांछित 01 अभियुक्त रोहित पाण्डेय की गिरफ्तारी की गई।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रोहित पाण्डेय पुत्र स्व0 रामविशाल पाण्डेय नि0 ग्राम दरियापुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी:

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 विकास बाबू, का0 धीरज कुमार, का0 अभिषेक त्रिपाठी, रि0का0 रचित सिंह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।